

JCMS: 2020/00148

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

रणजीत सिंह वगैरा बनाम स्टेट
अपील प्रकरण सं० 36/2020

श्री प्रशासनिक

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
14.10.2020	<p>अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील वाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है।</p> <p>स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। अधिवक्ता अपीलार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तहसीलदार सादूलशहर का आदेश दिनांक 31.12.2020 सीलिंग में अधिग्रहण की गई भूमि के कब्जा के सम्बन्ध में है जिसमें अपीलार्थीगण की भूमि का कब्जा अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः एकपक्षीय स्थगन इस आशय का जारी किया जाता है कि चक 16 एलएलजी के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 4 ता 15 कुल 12.00 बीघा कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में आगामी तारीख पेशी तक आज दिनांक की यथास्थिति बनाये रखेंगे। अधिवक्ता अपीलार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करना सुनिश्चित करें। उक्त पालना में विफल रहने पर उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। रेस्पोंडेन्ट्स एवं रिकॉर्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.11.2020 को पेश हो।</p>	<p>नम्बर व तारीख</p> <p>(27/10/20)</p>
10/11/20	<p>अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित। अपील वाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है।</p> <p>स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। अधिवक्ता अपीलार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तहसीलदार सादूलशहर का आदेश दिनांक 31.12.2020 सीलिंग में अधिग्रहण की गई भूमि के कब्जा के सम्बन्ध में है जिसमें अपीलार्थीगण की भूमि का कब्जा अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः एकपक्षीय स्थगन इस आशय का जारी किया जाता है कि चक 16 एलएलजी के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 4 ता 15 कुल 12.00 बीघा कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में आगामी तारीख पेशी तक आज दिनांक की यथास्थिति बनाये रखेंगे। अधिवक्ता अपीलार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करना सुनिश्चित करें। उक्त पालना में विफल रहने पर उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। रेस्पोंडेन्ट्स एवं रिकॉर्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.11.2020 को पेश हो।</p>	<p>नम्बर व तारीख</p>
10/11/20	<p>बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अधिवापक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी को पत्रावली दिनांक 20/11/20 को पेश हो।</p> <p>अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित। अपील वाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है।</p> <p>स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। अधिवक्ता अपीलार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तहसीलदार सादूलशहर का आदेश दिनांक 31.12.2020 सीलिंग में अधिग्रहण की गई भूमि के कब्जा के सम्बन्ध में है जिसमें अपीलार्थीगण की भूमि का कब्जा अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः एकपक्षीय स्थगन इस आशय का जारी किया जाता है कि चक 16 एलएलजी के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 4 ता 15 कुल 12.00 बीघा कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में आगामी तारीख पेशी तक आज दिनांक की यथास्थिति बनाये रखेंगे। अधिवक्ता अपीलार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करना सुनिश्चित करें। उक्त पालना में विफल रहने पर उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। रेस्पोंडेन्ट्स एवं रिकॉर्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.11.2020 को पेश हो।</p>	<p>नम्बर व तारीख</p>

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर



24.09.25 आधिकारता उपपत्रा उपस्थित T.I. की आवेदन आगामी
पैरी तक बर्कर जाती है बरकर हेतु अवसर माता
गया, जो विभागाध्यक्ष पत्रावली वास्तु बरकर दिनांक
04.11.25 को पैरा ही

अ

04.11.25 आधिकारता उपपत्रा उपस्थित T.I. की आवेदन
आगामी पैरी तक बर्कर जाती है पत्रावली वास्तु
बर्कर दिनांक 18.11.2025 को पेश हो

18/11/25
पितामही अधिकारी अयकम-मनम-म
कार्य में व्यक्त है पत्रावली के अधिनियम उपस्थित
है पत्रावली दिनांक 03/11/25 को पेश हो

03/11/25
पितामही अधिकारी अयकम-मनम-म
कार्य में व्यक्त है पत्रावली के अधिनियम उपस्थित
है पत्रावली दिनांक 06.01.26 को पेश हो

6.1.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिकता अपीलार्थी एवं अपीलार्थी स्वयं
उपस्थित नहीं। अधिकता अपीलार्थी एवं अपीलार्थी स्वयं को पृथक-
पृथक समय पर रुक-रुक कर बार-बार आवाजे लगाई गई, लेकिन वे
हजरत नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में
खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को
पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल
शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे व बाद तकगील जिला
अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।